129

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०रू०स०ज०–06–03/2019 ज०स० 63/19-2/ राँची, दिनांक 31.10.19
5०ई०

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कतिपय प्रस्तावित परियोजनाओं को परामर्शी के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार कराने के निमित रुपये 90.00 लाख (नब्बे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन निम्नवर्णित तालिका में उल्लेखित सिंचाई परियोजनाओं के परामर्शियों के माध्यम से DPR तैयार कराए जाने के निमित्त रुपये 90.00 लाख (नब्बे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न मुख्य अभियंता के परिक्षेत्राधीन विभिन्न योजनाओं के पुनर्स्थापन/नये कार्यों के डी0पी0आर0 सूत्रण हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–329, दिनांक–23.04.2019 में उल्लेखित निदेशों के आलोक में मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा विधिवत् RFP आमंत्रित किये जाने के उपरान्त परामर्शी चयन समिति द्वारा अवधारणा प्रस्तुतीकरण में भाग लेने वाले परामर्शियों के द्वारा समर्पित वित्तीय बीडों को दृष्टिगत रखते हुए यथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अनुशंसित श्रेष्ठ परामर्शियों की विभागीय निविदा समिति द्वारा समीक्षा एवं मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ परामर्शी का चयन निम्नवत् राशि के तहत किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र०	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने की अवधि (एकरारनामा की तिथि से)	राशि कर सहित (लाख में)
1	मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र अन्तर्गत अड़की प्रखण्ड जिला खूँटी के ग्राम उलिहातु एवं अन्य ग्रामों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वीयर/बैराज के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 15/2019-20.	180 दिन	रू० 57.00
2	मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्र अन्तर्गत कृष्णा सागर जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.- 16/2019-20.	130 दिन	रू० 33.00
		कुल योग :–	रू० 90.00

4. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

(i) माँग संख्या – 49 – जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष – 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष – 796 – जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना उप शीर्ष – 75– सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन विस्तृत शीर्ष – 06 – अनुदान 49 (49S470180796750649) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2019–20 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रू० 1700.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रू० 33.00 लाख रूपये राशि विकलनीय होगा।

(ii) माँग संख्या – 49 – जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष – 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष – 800 – अन्य व्यय, उप शीर्ष –75– सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष – 07– अन्य व्यय 59–अन्य व्यय (49S470180800750759) के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वर्ष 2019–20 में इस शीर्ष के अन्तर्गत रू० 3300.00 लाख का बजट में उपबंध है, जिससे प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रू० 57.00 लाख रूपये राशि विकलनीय होगा।

5. इन कार्यों के व्यय हेतु योजना/कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इस कार्य हेतु निधि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जाएगी।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–329 दिनांक–23.04.2019 में वर्णित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

11. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०रू०स०ज०–06–03/2019 ज०स० 63/19-20 /राँची, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

G:\Node-4\Chandan Sir\Sanlekh\Sanlekh_for__DPR_CDO (90.00).doc

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०रू०स०ज०–06–03/2019 ज०स० 63/19-20 प्र०सी० /राँची, दिनांक 31.10.19 (27

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०रू०स०ज०–06–03/2019 ज०स० 63/19-20 प्र०सी० /राँची, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०रू०स०ज०–06–03/2019 ज०स० 63/19-20 प्र०सी० /राँची, दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव